



285

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

कैलाश तनय रामसींग आदिवासी

R 4076 I-16

निवासी ग्राम कंजिया तह. बीना जिला सागर

.....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 14/अ-21/13-14 पारित आदेश दिनांक 30/11/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कंजिया स्थित भूमि खसरा क्र 119/41 रकवा 0.800 हे. आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से रकवा 0.60 हे को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, कलेक्टर सागर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे कावेला काश्त बनाने की

Handwritten notes in Hindi, including a signature and the date 29-11-16.

Handwritten mark or signature at the bottom left.

R-2076-116 जिला सागर

28/8/17

शावक शिमो के सम सम पर शावा-
लगावई गई, केई उपस्थित नहीं शावक-
पर शावक शिमो उपस्थित नहीं लगे 3
काला प्रकार अदम करी में प्रमाणित किया
जाया है

सिद्ध